

## बिल का सारांश

### संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2016

- आदिवासी मामलों के मंत्री जुआल ओराम ने 14 दिसंबर, 2016 को लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2016 पेश किया। बिल संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करता है।
- संविधान में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित जातियों (एससीज़) और अनुसूचित जनजातियों (एसटीज़) संबंधी विनिर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा इनके तहत इन दोनों आदेशों को जारी किया गया था। संविधान में यह प्रावधान भी है कि किसी आदेश को संशोधित करने के लिए संसद के कानून की आवश्यकता होती है।
- **असम** : बिल असम की एसटी की सूची में निम्नलिखित समुदायों को शामिल करता है : (i) बोरो, बोरो कछारी, बोडो, बोडो कछारी, और (ii) करबी (मिकिर)।
- **छत्तीसगढ़** : बिल एसटीज़ की सूची में पहले से वर्णित निम्नलिखित समुदायों के समान नामों को स्पष्ट करता है: (i) भूईया, भूईयां, भूयां, (ii) धनवार, धनुहार, धनुवार, (iii) नागोसिया, नागासिया, किसान, और (iv) सवर, सवरा, सौरा, संवरा।
- **झारखंड** : बिल झारखंड में एससीज़ की सूची से भोगता समुदाय को हटाकर उसे एसटीज़ की सूची में शामिल करता है। बिल में एसटीज़ की सूची में खरवार समुदाय के दूसरे नामों को भी स्पष्ट किया गया है : भोगता, देशवारी, गंडू, दौतलबंदी, द्वालबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया, खेरी, खेरी। झारखंड में एसटीज़ की सूची में पुरान नामक एक नए समुदाय को शामिल किया गया है।
- **तमिलनाडु** : अनुसूचित जातियों के आदेश, 1950 के तहत मलयाली समुदाय तमिलनाडु के धर्मापुरी, उत्तरी अरकाट, पुदुकोट्टाई, सलेम, दक्षिणी अरकाट और तिरुचिरापल्ली जिलों में एसटी है। बिल इस प्रवेश को संशोधित करते हुए मलयाली गांडर समुदाय को पूरे तमिलनाडु में एसटी बनाता है। एसटी की सूची में बिल एक समुदाय नरीकारोवन या कुरीविककरण को और जोड़ता है।
- **त्रिपुरा** : बिल त्रिपुरा में एसटीज़ की सूची में कुकी जनजाति में डारलॉग नामक उप जनजाति को और जोड़ता है।

**अस्वीकरण:** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस" की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।